

12-10-18

बिहार सरकार
कृषि विभाग

आदेश

संचिका संख्या-2 (गो०) सी०-2-35/15 698 कृ०/पटना, दिनांक 15-10-2018

श्री रविन्द्र सिंह, (बिहार कृषि सेवा कोटि-1 (शष्य), वर्ग-2) तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर/परियोजना निदेशक (आत्मा), कैमूर, भभूआ के विरुद्ध कम्बाईन हार्वेस्टर यंत्र में अनुदान राशि का गबन/धोखाधड़ी एवं स्वेच्छाचारिता एवं सरकारी आदेश की अवहेलना करने का गम्भीर आरोप के कारण श्री सिंह को निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार विभागीय आदेश संख्या 939 दिनांक 08.09.2017 द्वारा श्री सिंह को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया।

उक्त निलंबनादेश के विरुद्ध श्री सिंह, उनकी पत्नी श्रीमती नीता सिंह, उनके भाई श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह एवं अध्यक्ष, बिहार कृषि सेवा संघ कृषि प्रक्षेत्र, मीठापुर, पटना से प्राप्त पत्र जिनमें श्री सिंह की कीडनी प्रत्यारोपन एवं लीवर की गम्भीर बिमारी तथा निलंबन की अवधि लगभग एक वर्ष से अधिक होने के कारण आर्थिक समस्याओं को कारण बताते हुए श्री सिंह को निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

समस्त मामलों के समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 नियम-9 (7) के संगत प्रावधानों के तहत श्री सिंह को निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः तदालोक में श्री रविन्द्र सिंह, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर/परियोजना निदेशक (आत्मा), कैमूर, भभूआ सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को पत्र निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

Rohindro
12-10-18

(रवीन्द्र नाथ राय)

सरकार के विशेष सचिव

/कृ०, पटना, दिनांक 15-10-2018

ज्ञापांक 698

प्रतिलिपि— श्री रविन्द्र सिंह, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर/परियोजना निदेशक (आत्मा), कैमूर, भभूआ सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rohindro
12-10-18

सरकार के विशेष सचिव,

/कृ०, पटना, दिनांक 15-10-2018

ज्ञापांक 698

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री कृषि, के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/कृषि निदेशक के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-1 को सूचनार्थ प्रेषित।

Rohindro
12-10-18

सरकार के विशेष सचिव

१८

ज्ञापांक 698 /कृ0, पटना, दिनांक 15-10-2018
प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R. K. Singh

12-10-18

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 698 /कृ0, पटना, दिनांक 15-10-2018
प्रतिलिपि— संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य), दरभंगा प्रमंडल,
दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ/दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

R. K. Singh

12-10-18

सरकार के विशेष सचिव,

ज्ञापांक 698 /कृ0, पटना, दिनांक 15-10-2018
प्रतिलिपि:— प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के
आगामी अंक में प्रकाशनार्थ सी०डी० सहित प्रेषित।

R. K. Singh

12-10-18

सरकार के विशेष सचिव,

ज्ञापांक 698 /कृ0, पटना, दिनांक 15-10-2018
प्रतिलिपि:— पुलिस निरीक्षक-सह-अनुसंधानकर्ता, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के
पत्रांक-5937 दिनांक 19.09.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

R. K. Singh

12-10-18

सरकार के विशेष सचिव